

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 28.08.2004

पृ. क्रमांक 369 / स्था. / प्रशा. / 2004

आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (राष्ट्रीय) अधिनियम 2002 की धारा 49 के प्राक्कानन्दनार्थ गठित वार्षिक कार्यपरिषद की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 28.08.2004 दिया क्रमांक-02 की नियुक्तिशील निम्न शर्तों पर विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में आचार्य (वाणिकी) पद पर वेतनमान रूपये 16400-450-20900-500-22400 में से वर्ष की परीक्षाएँ ज्ञान आचार्य (वाणिकी) पद पर वेतनमान रूपये 16400-450-20900-500-22400 में से वर्ष की परीक्षाएँ ज्ञान (जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत को परिनियम के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है) कार्यकारी वर्ष करने की तिथि से की जाती है।

कार्यभार ग्रहण की अवधि के लिये वेतन/यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा। वेतनमान के अन्य समय-समय पर विश्वविद्यालय हारा रवीकृत अन्य भत्ते एवं लाप देय होंगे।

यदि परिवीक्षावधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा विश्वविद्यालय को उनकी सेवाएँ की आवश्यकता न हो तो एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकता है।

इनकी सेवाये चालचलन संबंधी जॉच उपयुक्त एवं अक्षम पाये जाने पर ही कैब होगी। इनकी सेवाये चालचलन संबंधी जॉच उपयुक्त एवं अक्षम पाये जाना चाहिये, अन्यथा नियुक्ति निरसन घटनी दिनांक 14.09.2004 तक पद का कार्यभार ग्रहण किया जाना चाहिये, अन्यथा नियुक्ति निरसन घटनी जावेगी। सेवा शर्ते विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिनियम 31 एवं अध्यादेश-4 के अंतर्गत घटनाक्रम जावेगी।

विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय लिखित रूप से सूचित करना होगा कि उपर्युक्त सभी शर्ते मान्य हैं।

उपर्युक्त शर्तों में किसी प्रकार की कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जावेगी। वेतन एवं अन्य शर्ते उपर्युक्तानुसार होगी, अन्य शर्ते मान्य नहीं होगी।

नियुक्ति पर होने वाला व्यय स्थापना मद में विकलनीय होगा।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

बिलासपुर, दिनांक 28.08.2004

पृ. क्रमांक. 370 / स्था. / प्रशा. / 2004

प्रतिलिपि :-

01. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अंतर्भूत।
02. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति जी/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
03. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
04. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
05. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
06. आयुक्त, उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा एवं पेशन प्रकोष्ठ, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, छ.ग. शासन, रायपुर (छ.ग.)।
07. प्रभारी विभागाध्यक्ष, वाणिकी विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
08. वित्ताधिकारी/ सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. ॐ० श्याम शंकर सिंह को इस निर्देश के साथ कि वे दिनांक 14.09.2004 तक आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करते समय नियमानुसार स्वारूप्य उपयुक्ता प्रमाण पत्र, अयु पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की समस्त परिलक्षियों की सत्यापित प्रतियों भी कार्यात्मक प्रेरतुत करना अनिवार्य होगा।
10. निजी नस्ती।

उप/ सहा कुलसचिव (प्रशा. / स्था.)

*Self attested
Signature*